10.4.18

अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्मचारी/प्रभारी अंचल निरीक्षक के [illegible] प्रतिवेदन, नक्शा चौहदी सहित, जमाबंदी रैयत के वंशजो द्वारा समर्पित राजस्व कागजात/शपथ पत्र/स्वधोषणा पत्र एंव संधारित पंजी II के पृष्ठ संख्या 226 जमाबंदी रैयत फजीजल मिया पि० काले मियाँ के नाम से दर्ज है। प्राधिकार कॉलम में [illegible] केस नं० 1/64-65 खाता 07 प्लॉट 217 रकवा 10 डी० अंकित है। लगान रसीद वर्ष 1972-73 से निर्गत होने का विवरण है। उक्त संकल्प के आलोक में जो वर्ष 1985 से पुर्व का सिद्ध करता है। साथ ही जमाबंदी रैयत का शपथ पत्र में उल्लेखित नामित उत्तराधिकार के रूप में (1) इब्राहिम मियाँ (2) महताब मियाँ पिता मो० मियाँ

का प्रश्नगत सरकारी भू–खण्ड पर कृषि/आवासीय के रूप में दखलकार है। उक्त नामित उत्तराधिकारी जमाबंदी रैयत के वंशज सरकारी नौकरी/आयकर दाता के श्रेणी में नहीं है। इनके पास कुल धारित रकवा–2.00 एकड़ से कम/अधिक है।

उपरोक्त विवेचना के आलोक में झारखण्ड सरकार रॉची द्वारा निर्गत संकल्प में निहित शर्तो को पुरा करता है। इस आधार पर उक्त जमाबंदी को वर्त्तमान उत्तराधिकारियों (1) इब्राहिम मियाँ (2) महताब मियाँ पिता मो० मियाँ के नाम से नियमितिकरण करने की अनुशंसा की जाती है। अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में भूमि सुधार उप–समाहर्ता, धनबाद को भेजे।

10/4/18

अंचल अधिकारी

गोविन्दपुर